न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 57 / **2018 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री अरविन्द कुमार कोतवाल निवासी 217, ज्योति कॉलोनी, ग्लास फैक्ट्री उदयपुर	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
––**अपीलार्थी**		––**प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 05.09.2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 13.07.2018 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 35 एफ 223348 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 18.08.2017 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा को जरिये डाक प्रेषित किया गया। किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी ने अपील मेमो के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना हेतू आवेदन पत्र तहसीलदार बिजौलिया को दिनांक 18.08.2017 को प्रेषित किया है जिसकी हस्तलिखित प्रति संलग्न की है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 18.08.2017 के द्वारा चाही गई सूचना की अपील दिनांक 13.07.2018 को काफी विलम्ब से प्रेषित की है।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 02.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया जिसके अंतर्गता प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा के पत्रांक 210 दिनांक 09.08.2018 की रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी के पास जो सूचना उपलब्ध थी अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना अपीलार्थी को समय पर नही दिया जाना प्रकट होता है। प्रत्यर्थी को भविष्य में समय पर सूचना देने हेतु पाबंद किया जाता है।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एव प्रत्यर्थी को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 05.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा